

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 31/18-19



(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

सुलेमान गुड़िया

- विक्रेता

मीनाक्षी हस्सा

- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर										
13.10.18	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक सुलेमान गुड़िया पिता स्व० नवीन गुड़िया ग्राम-कमड़ा, थाना तोरपा, जिला खूँटी, जाति मुण्डा ने मीनाक्षी हस्सा पिता राजन हस्सा ग्राम-तपकरा, थाना तोरपा, जिला खूँटी, जाति मुण्डा के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1"><thead><tr><th>ग्राम</th><th>थाना नं०</th><th>खाता नं०</th><th>खेसरा सं०</th><th>रकबा (एकड़ में)</th></tr></thead><tbody><tr><td>कमड़ा</td><td>69</td><td>122</td><td>2652</td><td>0.15</td></tr></tbody></table> <p>आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र, खतियान एवं लगान की रसीद सं० 1493654 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, तोरपा के पत्रांक 516 दिनांक 26.09.2018 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम दाऊद मुण्डा वगैरह है। पंजी II के अनुसार दाऊद मुण्डा वगैरह के नाम भूमि का रकबा 33.85½ एकड़ है। आवेदक के पास रकबा 5.64 एकड़ है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017-2018 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 1733.00(एक हजार सात सौ तैतीस)रु० प्रति डिसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष रकबा 5.49 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना तोरपा के निवासी हैं एवं एक ही समुदाय (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईंहररी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, तोरपा ने आवेदक क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, तोरपा से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण सुलेमान गुड़िया पिता स्व० नवीन गुड़िया को मीनाक्षी हस्सा पिता राजन हस्सा के साथ ग्राम कमड़ा के खाता सं० 122 खेसरा संख्या 2652 का कुल रकबा 0.15 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 1733.00(एक हजार सात सौ तैतीस)रुपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, तोरपा के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;"> भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p> <p style="text-align: center;"> भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)	कमड़ा	69	122	2652	0.15
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)							
कमड़ा	69	122	2652	0.15							